

dk; bdkjh | kj

इस प्रतिवेदन में उत्तर प्रदेश सरकार के 31 मार्च 2015 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लेखापरीक्षा किये गये लेखों के आधार पर, राज्य सरकार के वार्षिक लेखे या लेखाओं की विश्लेषणात्मक समीक्षा है। यह विश्लेषणात्मक समीक्षा राज्य के वित्तीय निष्पादन के अनुमान, राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्धन अधिनियम 2004 एवं इसके द्वितीय संशोधन अधिनियम 2011, बजट अभिलेखों, तेरहवें वित्त आयोग के प्रतिवेदन और विभिन्न विभागों तथा संस्थाओं से प्राप्त विभिन्न वित्तीय आंकड़ों पर आधारित है। यह प्रतिवेदन तीन अध्यायों में है।

v;/; k; 1 वित्त लेखे की लेखापरीक्षा पर आधारित है तथा 31 मार्च 2015 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष पर उत्तर प्रदेश सरकार की राजकोषीय स्थिति का मूल्यांकन प्रस्तुत करता है। यह अध्याय बजट अनुमानों, वचनबद्ध व्ययों आदि के सापेक्ष राज्य के समग्र वित्त की प्रवृत्ति, वास्तविक व्ययों आदि की पूरी जानकारी प्रदान करता है।

v;/; k; 2 विनियोग लेखे की लेखा परीक्षा पर आधारित है और इसमें अनुदानवार विनियोगों, बजट अनुमानों की तैयारियाँ तथा सेवादायी विभागों द्वारा किस प्रकार से आवंटित संसाधनों का प्रबन्धन किया गया है, का विवरण है।

v;/; k; 3 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विभिन्न रिपोर्टिंग आवश्यकताओं एवं वित्तीय नियमों के अनुपालन का लेखा—जोखा है।

ys[kki jh{kk fu"d"kl

v;/; k; 1%jkt; l jdkj ds fo rr

jktLo i kflr; k;

- jktLo i kflr; k; में वर्ष 2013–14 के सापेक्ष 15 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इस वृद्धि में मुख्यतः भारत सरकार से अनुदान (₹ 10,286 करोड़; 46 प्रतिशत), कर राजस्व (₹ 7,590 करोड़; 11 प्रतिशत) एवं केन्द्रीय करों एवं शुल्कों में राज्यांश (₹ 3,846 करोड़; 7 प्रतिशत) का योगदान था। ₹ 1,93,422 करोड़ की राजस्व प्राप्तियाँ ₹ 2,26,419 करोड़ के बजट अनुमान से (₹ 32,997 करोड़) कम थी।

॥ 1rj 1-1-1½

jktLo 0; ;

- jktLo 0; ; में वर्ष 2013–14 के सापेक्ष आठ प्रतिशत की वृद्धि हुई। यद्यपि, यह (₹ 1,71,027 करोड़) बजट अनुमान (₹ 1,97,425 करोड़) से कम (₹ 26,398 करोड़) था। jktLo 0; ; ds vllrxr आयोजनेतर व्यय में वर्ष 2013–14 के सापेक्ष ₹ 11,275 करोड़ (नौ प्रतिशत) एवं आयोजनागत व्यय में ₹ 1,605 करोड़ (पाँच प्रतिशत) की वृद्धि हुई। आयोजनेतर राजस्व व्यय (₹ 1,37,765 करोड़), तेरहवें वित्त आयोग के मानकीय अनुमान (₹ 88,219 करोड़) से बहुत अधिक (56 प्रतिशत) था।

॥ 1rj 1-1-1½

jkt dksh; fLFkfr

- शासन के पास राजस्व आधिक्य था जिसका प्रमुख कारण राजस्व प्राप्तियों में 15 प्रतिशत की वृद्धि है जबकि राजस्व व्यय में वर्ष 2013–14 के सापेक्ष आठ प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इसके अतिरिक्त, वास्तविक राजकोषीय घाटे में तेरहवें वित्त आयोग एवं राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम द्वारा निर्धारित अधिकतम तीन प्रतिशत के लक्ष्य से 0.33 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

॥Lrj 1-1-2॥

i thxr 0; ;

- वर्ष 2013–14 के सापेक्ष पूँजीगत व्यय में ₹ 20,434 करोड़ (62 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। यह वृद्धि मुख्यतः आर्थिक सेवाओं के अन्तर्गत सड़कें एवं सेतु, ऊर्जा परियोजनाएं, वृहद सिंचाई एवं ग्रामीण विकास में हुई। यह बजट अनुमान से कम थी।

॥Lrj 1-1-1॥

_.k | vguh; rk

- वर्ष 2014–15 के अंत में ऋण का सकल राज्य घरेलू उत्पाद से अनुपात (31.53 प्रतिशत) राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2011 के निर्धारित लक्ष्य 41.90 प्रतिशत की तुलना में कम था।

॥Lrj 1-1-2॥

vkdfLed ns rk, a

- प्रत्याभूति की अधिकतम धनराशि वर्ष 2012–13 के ₹ 50,459 करोड़ के स्तर से महत्वपूर्ण रूप से बढ़कर (55 प्रतिशत) वर्ष 2014–15 में ₹ 78,023 करोड़ हो गयी। प्रत्याभूति की अवशेष धनराशियाँ (ब्याज सहित) भी वर्ष 2012–13 के ₹ 43,337 करोड़ से महत्वपूर्ण रूप से बढ़कर (63 प्रतिशत) वर्ष 2014–15 में ₹ 70,740 करोड़ हो गयी।

॥Lrj 1-9-4॥

jkt dksh; vI ryu

- राजकोषीय घाटा वर्ष 2010–11 के ₹ 17,248 करोड़ से घटकर वर्ष 2011–12 में ₹ 15,433 करोड़ हो गया, परन्तु पुनः वृद्धि की प्रवृत्ति दर्शाते हुए वर्ष 2013–14 के सापेक्ष 2014–15 में ₹ 32,513 करोड़ हो गया, जो मुख्यतः पूँजीगत व्यय में महत्वपूर्ण वृद्धि (62 प्रतिशत) के कारण हुई। वित्तीय वर्ष 2014–15 की समाप्ति पर राज्य का प्राथमिक घाटा ₹ 13,648 करोड़ था। यह वर्ष 2013–14 की तुलना में राजकोषीय घाटे में ₹ 8,833 करोड़ की वृद्धि के कारण हुई।

॥Lrj 1-11-1॥

jKT; dh foRrh; fLFkfr

- राजकोषीय घाटा वर्ष 2014–15 के दौरान सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 3.33 प्रतिशत पर स्थिर रही जो विगत पांच वर्षों में पहली बार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्धन अधिनियम के तीन प्रतिशत लक्ष्य से 0.33 प्रतिशत अधिक रही। राजकोषीय घाटे के वार्षिक वृद्धि दर में भी 2010–11 के मात्र आठ प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2014–15 में 37 प्रतिशत की वृद्धि हुई जो राजकोषीय असंतुलन में वृद्धि को प्रदर्शित करती है।

॥Lrj 1-11-4॥

v/; k; 2% foRrh; çcl/ku , oactVh; fu; æ.k

vufpr ctV ds dkj.k vR; f/kd cpr

- ₹ 52,043.50 करोड़ की कुल बचत ₹ 55,351.80 करोड़ की बचत के परिणामस्वरूप ₹ 3,308.30 करोड़ के आधिक्य द्वारा प्रतिसन्तुलित हुई।

½ Lrj 2-2½

vuojr cpr

- विगत पांच वर्षों के दौरान अनवरत बचत (₹ 100 करोड़ एवं अधिक) हुई। राजस्व दत्तमत अनुभाग के अंतर्गत वर्ष 2013–14 के ₹ 6,459.69 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2014–15 में ₹ 12,314.12 करोड़ हो गयी।

½ Lrj 2-3-2½

i ko/kkukä s vf/kd gq s 0; ; kä ds fofu; ferhdj.k dh vkoš; drk

- भारत के संविधान की धारा 205 के अन्तर्गत वर्ष 2005–14 की अवधि के व्याधिक्य ₹ 20,352.17 करोड़ का विनियमितीकरण किया जाना शेष था।

½ Lrj 2-3-4½

vuko' ; d@vi ; klr vuqjjd i ko/kkukä , oa fuf/k; kä dk vR; f/kd] vuko' ; d i pfotu; kx

- धनराशियों के अनावश्यक/अपर्याप्त अनुपूरक प्रावधान एवं अत्यधिक, अनावश्यक पुनर्विनियोग के प्रकरण पाये गये। अनुमानित बचतों को समर्पित न किये जाने के प्रकरण भी प्रकाश में आये। वर्ष के अन्त में व्यय का अतिरेक भी वित्तीय प्रबंधन की एक गम्भीर समस्या है।

½ Lrj 2-3-6] 2-3-7] 2-3-10 , oa 2-3-12½

v/; k; 3% वित्तीय रिपोर्टिंग

yfcr mi Hkkx i ek.k&i = , oa foLrr vkdirLed fc

- 31 मार्च 2015 को अनुदान प्राप्तकर्ताओं से अत्यधिक धनराशि (₹ 1,27,743.38 करोड़) के उपभोग प्रमाण–पत्र अप्राप्त थे एवं ₹ 236.62 करोड़ के 5,985 सार आकस्मिक बिलों के विस्तृत आकस्मिक बिल प्रतीक्षित थे।

½ Lrj 3-1 , oa 3-2½

pkjh] gkf] nfofu; kx , oa xcu ds i dj.k

- वर्ष 2014–15 के अंत तक चोरी, हानि, दुर्विनियोग एवं गबन के कुल 139 प्रकरण थे, जिनमें ₹ 884.60 लाख की धनराशि सन्निहित थी।

½ Lrj 3-4½